कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला – सुकमा(छ0ग0)

E.Mail ID - cmho.sukma@gmail.com / Fax no - 07864-284278

क्रमांक/1427/मु.चि.अ./स्था/डी.एम.एफ./2024 सुकमा, दिनांक 11/07/2024

विज्ञापन

जिला सुकमा अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदो की पूर्ति हेतु जिला प्रशासन के डी.एम.एफ. मद के अन्तर्गत चल साक्षात्कार के आधार पर स्थानीय व्यवस्था के तहत संविदा नियुक्ति किया जाना है। जिसके लिए चल साक्षात्कार का आयोजन, **दिनांक 15.07.2024 से पद पूर्ति होने तक** कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा में प्रति कार्यालयीन दिवस प्रातः 10:30 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक किया जाएगा। पात्र इच्छुक अभ्यर्थी समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो सकते है। पदों का पदवार विस्तृत विवरण, निर्धारित मापदंड एवं संविदा वेतन का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.	पदनाम	विज्ञापित पदों की संख्या	वेतन प्रतिमाह प्रति पद	आवश्यक अर्हता	रिमार्क
1	स्त्री रोग विशेषज्ञ	01	2,30,000/–	M.S. Gyno. / D.G.O	
2	मेडिसीन विशेषज्ञ	01		M.D. Medicine	
3	रेडियोलॉजिस्ट	01		M.D./ Diploma in Radiology	
4	नाक कान गला विशेषज्ञ	01		M.S. ENT	
5	पैथालॉजिस्ट	01		M.D.Pathology./ D.C.P.	
6	निश्चेतना विशेषज्ञ	01		M.D. Anesthesia	
7	अस्थिरोग विशेषज्ञ	01		M.S. Ortho.	

1. विज्ञापन के संबंध में आवेदन का प्रारूप, नियम एवं शर्ते तथा अन्य विस्तृत जानकारी जिला सुकमा के वेबसाईट www.sukma.gov.in में देखा जा सकता है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सुकमा (छ0ग0)

चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देशः–

1. विज्ञापित पदों की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
2. यह नियुक्ति केवल स्थानीय व्यवस्था के तहत् आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था के लिए की जा रही है, इनके स्थान पर नियमित नियुक्ति हो जाने पर यह नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।
3. यह नियुक्ति उपस्थिति दिनांक से एक वर्ष के लिए की जा रही है, कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में ही सेवा वृद्धि दी जा सकती है तथा कार्य संतोषजनक नही होने पर किसी भी समय सेवा समाप्ति करने हेतु शासन पक्ष स्वतंत्र होगा ।
4. मानदेय – सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय देय होगा इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के भत्ता/सुविधा देय नही होगा ।
5. सेवा समाप्ति के पूर्व किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन जमा कर/देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।
6. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गई चाहे वो किसी भी पद पर रहें हों। उन्हें अपात्र उम्मीद्वार की संज्ञा में रखा जएगा।
7. उम्मीदवार की आयु 01.01.2024 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 62 वर्ष होनी चाहिये शासन द्वारा समय–समय पर आयु सीमा में दी गई छूट का प्रावधान होगा ।
8. उक्त संविदा पद अस्थानांतर्णीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नही देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
9. नियुक्त चिकित्सक को पदस्थापना स्थान (मुख्यालय) में निवासरत होकर कार्य संपादन करना अनिवार्य होगा।
10. भर्ती की प्रकिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार जिला स्वास्थ्य चयन समिति को होगा जो सभी आवेदकों को बाध्यकारी होगा ।
11. आवेदन करते समय 02 नग पासपोर्ट साईज फोटो तथा निम्न आवश्यक अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न कर संलग्न किया जावेः–
    - 10वीं की अंकसूची (जन्मतिथि के प्रमाण हेतु)
    - निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षो की अंकसूची/संबधित डिग्री/इंटर्नशीप प्रमाण पत्र।
    - छ0ग0 मेडिकल काउंसिल पंजीयन का जीवित प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
    - सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र।
    - अनुभव प्रमाण पत्र (आवेदित पद से संबिधत हो) केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओ के मान्य होंगे। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव का अंक प्रदान किये जायेंगे।
    - (एक से अधिक अभ्यर्थी होने की स्थिति में) अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख व कार्यालयीन जावक क्रमांक नही होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जावेगा। अनुभव में अंको की गणना एक संस्था में एक पद पर 12 माह का अनुभव होने पर एक वर्ष का 02 अंक दिया जावेगा। 12 माह से कम अनुभव होने पर अंको की गणना नही की जावेगी।
12. (एक से अधिक अभ्यर्थी होने की स्थिति में) अंतिम चयन सूची निम्नानुसार तैयार की जाएगी।
    - शैक्षणिक योग्यता 70 अंक चल साक्षात्कार 20 अंक तथा अनुभव – प्रतिवर्ष 02 अंक के दर से अधिकतम 10 अंक।
13. चल साक्षात्कार के उपरांत मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सुकमा (छ0ग0)